रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253420 CG-DL-E-28032024-253420

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र, 7, 1946

No. 1490]

NEW DELHI WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

का.आ. 1571(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 910(अ), दिनांक 21 अप्रैल 2010 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में कटनी-जबलपुर-लखनादौन खंड के कि.मी. 377.600 से कि.मी. 544.000 तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खंडों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया:

2303 GI/2024 (1)

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **7**(नया एनएच-30 & 34) के जबलपुर- लखनादौन खंड के डिजाइन चैनेज कि.मी. 465.600 से कि.मी. 546.600 तक (विद्यमान चेनेज कि.मी. 465.600 से कि.मी. 546.420) के लिए की अधिसूचना संख्या 4456 (ई) दिनांक 13.12.2019 के द्वारा।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 के जबलपुर- लखनादौन खंड के कि.मी. 880.600 से कि.मी. 891.780 तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 के कि.मी. 1358.00 से कि.मी. 1428.557 तक(परियोजना की कुल लंबाई 81.737 कि.मी.) के खण्ड (जिसे इसके पश्चात 'उक्त खण्ड' कहा गया है) के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (इनविट) हेतु दिनांक 07.03.2024 को एनएचआईटी ईस्टर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-5 और 6, सेक्टर-10, द्वारका, दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110075, (जिसे इसके पश्चात 'कंसेसनायर र' कहा गया है) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात उक्त 'करार' कहा गया है) किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (ई), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(ई), तारीख 03.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 15 (ई), तारीख 12.01.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (ई), तारीख 12.10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 [सा.का.नि. 778 (ई), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधार ण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (ई), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (ई), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(ई), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (ई), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (ई), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(ई), तारीख 02.12.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(ई), तारीख 14.03.2017], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(ई), तारीख 07.05.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920(ई), तारीख 25.09.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942(ई), तारीख 20.12.2019] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298(ई), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523(ई), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804(ई), तारीख 30.12.2020] के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और करार की तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना का.आ. 4456 (अ) दिनांक 13.12.2019 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अतिक्रमण से पूर्व कर ली गईं हैं या करने से लोप करा दी गईं हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा कंसेसनायर के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि चार या अधिक लेन की

68.0552 कि.मी. की सड़क लंबाई और 19.315 कि.मी. (चार लेन संरचना की लंबाई 1.9315 कि.मी.) की समकक्ष संरचना लंबाई (जिसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों का 100% (जिस इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) पर और दो लेन की 0.510 कि.मी. की सड़क लंबाई के लिए और 5.10 किमी(दो लेन संरचना की लंबाई 0.510 कि.मी.) समकक्ष संरचना लंबाई (जिसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु दो लेन संरचना के उपयोग के लिए नीचे तालिका 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% पर और बाईपासों जिनकी कुल लंबाई 11.240 कि.मी. है तथा जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, के लिए आधार दर का डेढ़ गुना पर (इसके बाद इसे "आधार दर" कहा जाएगा), नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गहीत किया जाएगा और उक्त कंसेसनायर को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी चार या
	अधिक लेन के एनएच खंड के लिए शुल्क की
	आधार दर
	(रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर	3.45
(ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले )	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

क्रम	टोल प्लाजा का स्थान	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क	दर जिस पर शुल्क भुगतान
सं.	(विद्यमान किमी)	भुगतान योग्य है	योग्य है
1.	मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले के बोहरिपार गांव के निकट डिजाइन किमी 1362.780 पर	68.0552 किमी [पैरा 2 में दर्शाए अनुसार बाईपास की 11.240 किमी लंबाई और नीचे पैरा 3 में दर्शाई गई 4-लेन संरचनाओं की 1.9315 किमी और 2-लेन संरचनाओं की 0.510 किमी लंबाई को छोड़कर] 0.510	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

<sup>2.</sup> उपरोक्त के अलावा 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित अवस्थानों पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

टोल प्लाजा का स्थान (चैनेज) मध्य प्रदेश राज्य में	और स्थान	शुरू होते हुए 1368.500	समाप्त होते हुए 1371.100	(किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है ऊपर सारणी-1 में
निकट टिजाइन	सुकारी बाईपास धूमा बाईपास लखनादौन बाईपास	1378.855	1380.075 1405.720	1.220 3.770	उल्लिखित आधार दरों का 150%
	लखनादान बाइपास	1423.300	1426.950	3.650	
	कुल (किर्म	<del>Π</del> )		11.240	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का स्थान	सड़क की लंबाई के समकक्ष	सड़क की समकक्ष	दर जिस पर शुल्क भुगतान
(विद्यमान किमी)	परिवर्तित संरचना की लंबाई	लम्बाई (कि.मी. में)	योग्य है
	(किमी में)		
मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर	1.9315^	19.315	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित
जिले के बोहरिपार गांव के			आधार दरों का 100%
निकट डिजाइन किमी	0.510	5.100	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित
1362.780 पर			आधार दरों का 60%

4 लेन संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लंबाई) का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	(विद्यमान किमी )		संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (किमी)
	से	तक		
1	881.235	881.655	फ्लाईओवर	0.420
2	886+240	887+087	बड़ा पुल(एलएचएस)–847 मी	0.8885*
2	886+200	887+130	बड़ा पुल (आरएचएस) – 930 मी	0.0005
3	1374.839	1374.961	आरओबी	0.122
4	1414.930	1415.430	बड़ा पुल	0.501
कुल लंबाई	कुल लंबाई			

<sup>\*</sup>औसत लंबाई

<sup>2</sup> लेन संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लंबाई) का विवरण इस प्रकार है:

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

5

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2023-24 के लिए मासिक पास की दर 330.00/-रूपए (तीन सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की दिनांक से एक माह

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. एक यांत्रिक वाहन जो नियमों के तहत अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा, उसे प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमित नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अतिरिक्त भार हटा नहीं दिया जाता है। किसी यांत्रिक वाहन का चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति, जो अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार से अधिक लदा है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोडेड वाहन को प्रवेश कराने के लिए नियम 10 के उप नियम 1ए के बराबर शुल्क एकत्र करने वाली एजेंसी को शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिकतम अनुमेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	आधार दर का गुणक कारक	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	दो	[(नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत यांत्रिक
>20% to 40%	चार	वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क) x
>40% to 60%	छह	(गुणक कारक)]
>60% to 80%	आठ	
>80% तथा अधिक	दस	

- 8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 9. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे

प्राधिकरण द्वारा कंसेसनायर के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात रियायत करार के प्रावधान एवं उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते कि शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6(छह) महीने की अविध के भीतर कोई संशोधन प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एनएचएआई/वित्त/इनविट/23-24/फीनोटिफिकेशन/रीवा-कटनी-जबलपुर-लखनादौन खंड / बोहरिपार टोलप्लाजा/ई-236094]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव,

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

**S.O. 1571E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910(E) dated 21st April 2010 issued under Section 11 of the National India Act, 1988 (168 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 377.600 Km to Km 544.000 of Katni-Jabalpur-Lakhnadon section in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O. No. 4456 (E) dated 13.12.2019 for the Jabalpur – Lakhnadon section from design chainage km 465.600 to km 546.600 (existing chainage km 465.600 to km 546.420 km) of National Highway Number -7 (new NH-30 & 34) in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with **NHIT Eastern Projects Private Limited**, having its registered office at G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, Delhi, South West Delhi, India, 110075 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), on **07.03.2024** for the Tolling, Operation, Maintenance and Transfer (InvIT) of Jabalpur – Lakhnadon section from km 880.600 to km 891.780 of NH- 30 and km 1358.00 to km 1428.557 of NH-34 (Total Project length 81.737 km), in the state of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020], and any other amendments till date of agreement and in supersession of the Notification Number S.O. No. 4456 (E) dated 13.12.2019 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at 100 % of the rates specified in column (2) of Table 1 (hereinafter referred as to as "Base Rate") for road section length of 68.0552 km of four or more lane & for equivalent structure length (having length more than 60m) of 19.315 km. (having length of four lane structure 1.9315 km.) and at 60% of the base rate specified in column (2) for road section length of 0.510 km of two lane & for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.10 kms (having length of two lane structure 0.510 kms) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of two lane structure and at one and half times of the base rate for bypasses having and aggregate length of 11.240 km costing each bypass Rs.10 Crore or more for the use of the 4 lane or more section (herein after called as the "Base Rate"), on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck ( Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plazas for the distance specified for such Fee Plazas:

S. No.	Location of Toll Plaza (Existing KM)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which Fee is payable	
	At design km 1362.780 near Boharipar village of Jabalpur District in the state of Madhya Pradesh	[excluding 11.240 km length of Bypass as	100% of the base rates mentioned in Table-1 above	
		0.510	60% of the base rates mentioned in Table-1 above	

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing more than Rs. 10 crores at the following locations:

Location of Toll Plaza (chainage)	Name of Bypass and Location	Taking off	Merging at	Length of bypass for which Fee is Payable (in km)	Rate at which Name of fee is payable
At design km 1362.780 near	Bargi Bypass	1368.500	1371.100	2.600	150% of the base rates mentioned in
Bahoripar village of Jabalpur District in	Sukari By Pass	1378.855	1380.075	1.220	Table-1 above

the state of Madhya Pradesh	Dhuma Bypass	1401.950	1405.720	3.770	
	Lakhnadon Bypass	1423.300	1426.950	3.650	
Total (km)				11.240	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

(Existing KM)	Length of Structures (in km) to be converted into equivalent road length	_	Rate at which fee is payable
At design km 1362.780 near	1.9315^	19.315	100% of the base rates mentioned in
Bahoripar village of Jabalpur			Table-1 above
District in the state of	0.510	5.100	60% of the base rates mentioned in
Madhya Pradesh			Table-1 above

The details of 4 lane structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	(Existing KM)		Type of Structure	Total Length (km)
	From	То		
1	881.235	881.655	Flyover	0.420
2	886+240	887+087	Major Bridge (LHS) – 847 m	0.8885*
	886+200	887+130	Major Bridge (RHS) – 930 m	0.8883**
3	1374.839	1374.961	ROB	0.122
4	1414.930	1415.430	Major Bridge	0.501
Total ler	1.9315			

<sup>\*-</sup> Average Length

The details of 2 lane structures (> 60 m length) are as under:-

		(Existing KM)		Total Length (km)
	From	То		
1	890.186	890.696	Flyover	0.510
Total	length	0.510		

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 330.00 (Rupees Three Hundred Thirty only) for the year 2023-24 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Amount Payable	Maximum number of one way	Period of validity
	journeys allowed	
One and half times of the fee for one way	Two	Twenty four hours from the time of
journey		payment
Two-third of amount of the fee payable for	Fifty	One month from date of payment
fifty single journeys		

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the national highway for crossing the fee plaza until the excess load has been removed from such vehicle. The driver or owner or a person in-charge of the mechanical vehicle which is loaded in excess of

permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules:-

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying Factor to the base rate	Fees
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	
>20% to 40%		[(Fees applicable for such category of
>40% to 60%	2	mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule
>60% to 80%	Eight	4) x (Multiplying factor)]
>80% and Above	Ten	

- 8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
- 9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/Finance/Invit/23-24/FeeNotification/Rewa-Katni-Jabalpur—Lakhnadonsection/BohariparTollPlaza/E-236094]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.